संपादकीय जागरण

रविवार, 22 अप्रैल, 2018 : वैशाख शुक्ल 7 वि. 2075

जो भीतर से शांत है उसे कोई बाहरी वेदना परेशान नहीं कर सकती

सख्त सजा की तैयारी

बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों को कठोर सजा देने के प्रावधान बनाना समय की मांग और जरूरत थी। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय कैबिनेट ने उस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जो एक ओर जहां 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के लिए मौत की सजा तय करेगा वहीं दूसरी ओर दुष्कर्म के मामलों में न्यूनतम सात साल के सश्रम कारावास की अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष या फिर आजीवन कारावास में तब्दील करेगा। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए कठोर सजा के प्रबंध किए जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि दुष्कर्म के मामलों की जांच और फिर ट्रायल को एक तय अवधि में पूरा करना होगा। ऐसा वास्तव में हो और दुष्कर्म के अपराधियों को समय रहते उनके किए की सख्त सजा मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अदालती तंत्र को कहीं अधिक सक्रियता का परिचय देना होगा। इसके लिए तंत्र में सुधार भी करना होगा, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि दुष्कर्म के मामलों में सजा का प्रतिशत बहुत ही कम है। स्पष्ट है कि पुलिस को कमर कसने की सख्त जरूरत होगी। इस जरूरत की पूर्ति हो, यह राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा। वैसे भी दुष्कर्म के बढ़ते मामले यही बता रहे हैं कि बच्चियों, किशोरियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना रहे अपराधी तत्व बेलगाम हो गए हैं। उनकी घिनौनी हरकतें समाज को शर्मिंदा करने के साथ देश की छवि को भी खराब करने का काम कर रही हैं। ऐसे तत्वों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसे तत्वों को सबक सिखाने और उनके मन में खौफ पैदा करने की जरूरत है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि आज दुष्कर्मी तत्व बेलगाम हैं और समाज खौफ में है। यह स्थिति सभ्य समाज के विपरीत है।

आखिर आज के युग में ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग कैसे हो सकते हैं कि छोटी-छोटी बच्चियों को निशाना बनाएं? यह तो हैवानियत की पराकाष्ठा के अलावा और कुछ नहीं कि साल-दो साल की बच्चियां भी दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। यह दरिंदगी का बेहद घृणित रूप है और इसे रोकने के लिए एक ओर जहां यह आवश्यक है कि कानून कठोर हों वहीं यह भी कि उन पर सही तरह अमल भी हो और उनका दुरुपयोग न होने पाए। इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश को हिला देने वाले निर्भया कांड के बाद भी यौन हिंसा रोधी कानून कठोर किए गए थे, लेकिन स्थिति में तनिक भी बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसा इसीलिए हुआ कि हम सख्त सजा का कोई उदाहरण पेश नहीं कर सके। किसी को बताना चाहिए कि आखिर निर्भया के हत्यारों को अभी तक उनके किए की सजा क्यों नहीं मिली? यौन हिंसा के मामले में यह भी देखना होगा कि विकृत सोच इसलिए तो नहीं पनप रही कि समाज को बनाने-संवारने का एजेंडा किसी के पास नहीं रह गया है? यह जरूरी है कि देश बनाने की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले लोग समाज को बनाने की भी चिंता करें।

मेडिकल सुविधाएं किसे

बांदा के मेडिकल कालेज अस्पताल और छिबरामऊ (कन्नौज) के सौ शैया वाले अस्पताल में दो बच्चों की मृत्यु हो गई। दोनों के परिवार वाले अस्पताल के उपचार से संतुष्ट नहीं हैं। दोनों ही जगह शव ले जाने को स्ट्रेचर नहीं मिला और परिवारीजन अपने हाथों में शव ले गए। परिवारीजन की नाराजगी और दूसरे तीमारदारों के विरोध के बाद दोनों जगह किए गए उपचार की जांच करने का आश्वासन दिया गया है। दोनों ही जगह स्ट्रेचर उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। बांदा में जब नाराज परिवारीजन डीएम के पास शव लेकर पहुंचे तो प्रशासन की ओर से खुद ही एंबुलेंस मंगाने के लिए फोन किया गया। मगर पहली बार में नहीं आई, जब दूसरी बार में फटकार लगाई गई तब वह उपलब्ध हो पाई। फिलहाल प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं के होने और जरूरतमंद को उपलब्ध होने की स्थिति बताने के लिए बांदा की ही घटना काफी है। जब जिला प्रशासन के फोन पर एक-दो घंटे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो आम लोगों की हालत का अंदाज स्वयं ही लग जाता है।

प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं के होने और जरूरतमंद को उपलब्ध होने की स्थिति बताने के लिए बांदा की घटना काफी है

छिबरामऊ वाले केस में डाक्टर बता रहे हैं कि बच्ची को निमोनिया था, रात में ही रेफर कर दिया गया था। बच्ची के पिता ने अकेले होने के कारण रात में ले जाने में असमर्थता जताई। सुबह बच्ची दुनिया में नहीं रही। ये माना कि हर अस्पताल में हर मरीज की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। यह भी हकीकत है, हर तीमारदार आनन-फानन में अपने मरीज को दूसरे बड़े अस्पताल में ले नहीं जा सकता। इन्हीं क्षणों में तीमारदार और डाक्टर-कर्मचारियों के बीच तकरार होने लगती है। यही वक्त है जब संवेदनशील होना जरूरी होता है। तीमारदार तनाव में अधिक रहते हैं इसलिए अस्पताल से जुड़े लोगों से ही समझदारी की उम्मीद की जाती है। कई बार काम के परिणाम से ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरह से कार्य किया गया।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जनहित याचिकाएं निजी हित साधने और प्रचार पाने का आसान जरिया बन गई हैं?

आज का सवाल
क्या कुछ दलों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कवायद राजनीति से प्रेरित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

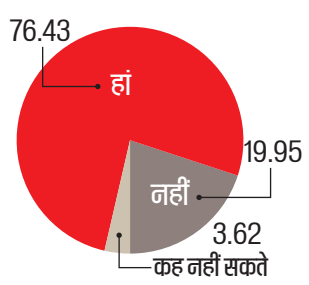

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राजनीति का नया हथकंडा-महाभियोग

संजय गुप्त

महाभियोग ला रहे विपक्षी दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे जानबूझकर ऐसा काम करने क्यों जा रहे हैं जिसके पूरा होने की कहीं कोई उम्मीद नहीं?

कांग्रेस ने छह विपक्षी दलों के साथ मिलकर अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया उसका नुकसान पूरी न्यायपालिका और अंततः देश को उठाना पड़ सकता है। महाभियोग के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के कहीं कोई आसार नहीं, इससे कांग्रेस भी अनभिज्ञ नहीं हो सकती और इसका मतलब है कि महाभियोग प्रस्ताव के पीछे शुद्ध राजनीतिक मकसद या बदले की राजनीति है, जैसा कि वित्तमंत्री ने कहा। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि जज लोया मामले में मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ की ओर से फैसला आने के अगले ही दिन कांग्रेस ने महाभियोग का नोटिस राज्यसभा के सभापति को दे दिया। कांग्रेस जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की पहल पर महाभियोग प्रस्ताव लाई कांग्रेस इसके पीछे जो तर्क दे रही है उनमें कोई गंभीरता नहीं नजर आती और शायद इसीलिए कुछ विपक्षी दलों ने उससे यह पूछा कि आखिर मुख्य न्यायाधीश पर जो आरोप हैं उसके सुबूत कहां हैं?

कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए उनमें एक यह है कि वह चुनिंदा मामले मनपसंद बेंच भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। इस आरोप के केंद्र में जज लोया की मौत की जांच वाला मामला भी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि जज लोया की मौत स्वाभाविक थी और उनके निधन के वक्त जो चार जज साथ में थे उनकी बातों को खारिज करने का कोई मतलब नहीं। यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों को भी आड़े हाथों लिया था जो लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए बेजा दबाव बना रहे थे। महाभियोग प्रस्ताव में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक अन्य आरोप प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट संबंधी है। आरोप है कि जो शख्स इस ट्रस्ट को अदालत से राहत दिलाने की कोशिश कर रहा था उसे मुख्य न्यायाधीश ने गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाया और इस मामले में जब सीबीआइ ने एक जज के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की इजाजत मांगी तो उन्होंने जांच की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। तीसरा आरोप उस याचिका से संबंधित है जिसमें प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में जांच की मांग की गई थी। एक अन्य आरोप गलत हलफनामा देकर जमीन हासिल करने का है। इन आरोपों के संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रसाद ट्रस्ट मामले में भी प्रशांत भूषण और उनके साथी वकील सक्रिय थे और जज लोया मामले में भी।

एक तरह से कुछ वरिष्ठ वकीलों की तरह कांग्रेस भी यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल बनाना न्यायपालिका की गरिमा गिराने वाला काम है। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। लंबे समय तक के अपने शासन में कांग्रेस ने एक के बाद एक संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का काम किया है। कांग्रेस को भले ही अभी अहसास न हो कि मुख्य न्यायाधीश की छवि खराब कर वह न्यायपालिका का कितना बड़ा नुकसान कर रही है, लेकिन देर-सवेर उसे अपनी गलती का आभास अवश्य होगा। बिना किसी ठोस सुबूत मुख्य न्यायाधीश को कठघरे में खड़ा करना लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं, लेकिन शायद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसकी परवाह नहीं।

अवधेश राजपूत

न्यायपालिका और खासकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे कोई न कोई पक्ष आहत महसूस करता है। क्या ऐसे सभी मामलों में पराजित पक्ष जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े करने लगेगा? ऐसा लगता है कि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने जनहित याचिकाओं को अपने एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। अगर कोई फैसला उनके मन-मुताबिक नहीं होता तो वे न्यायाधीशों को कठघरे में खड़ा करने लगते हैं। शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया मामले की याचिका आपराधिक अवमानना के समान थी और उसका मकसद न्यायपालिका पर हमला करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि इस मामले में वकील सुबूत गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार पता ही नहीं चलता कि जनहित याचिकाओं के पीछे असली चेहरा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जनहित याचिकाएं जरूरी हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग चिंताजनक हैं। उसने यह भी पाया कि सतही या फिर खास मकसद से जनहित याचिकाओं से अदालत का वक्त खराब किया जा रहा है, जबकि इन याचिकाओं का लक्ष्य दबे-कुचले और वंचित लोगों को न्याय दिलाना है। दरअसल एजेंडे वाले कुछ वरिष्ठ वकीलों का अहं इतना अधिक बढ़ गया है कि वे खुद को जजों से भी बड़ा समझने लगे हैं। जज लोया के मामले में वकीलों के रवैये से यही साबित होता है कि हर हाल में मनमाफिक फैसला हासिल करने की कोशिश हो रही थी और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया।

यह सही है कि भ्रष्टाचार ने तमाम अन्य क्षेत्रों की तरह न्यायपालिका में भी अपने पैर फैलाए हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के कुछ ठोस आधार होने चाहिए। यह ठीक नहीं कि वरिष्ठ वकीलों सरीखी लामबंदी राजनीतिक दल भी करें। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस इसी लामबंदी को ही रेखांकित कर रहा है। यह लामबंदी सही नहीं, इसका संकेत इससे भी मिलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सलमान खुर्शीद की असहमति के बाद भी महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया।

महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल इस पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अगर वास्तव में ऐसा है तो फिर महाभियोग प्रस्ताव लाने वाले दलों को बताना चाहिए कि वे जानबूझकर ऐसा काम करने क्यों जा रहे जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं? क्या कारण है कि कांग्रेस समेत महज छह दलों को ही लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है? एक सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीति के भ्रष्ट तौर-तरीके लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं? सच तो यह है कि लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली से पहुंचा है। आज भाजपा और वाम दलों को छोड़ दें तो ज्यादातर दल घोर सामंती प्रवृत्ति यानी गैर लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं। क्या ऐसे तरीके से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? राजनीतिक दलों ने जात-पांत, ऊंच-नीच और क्षेत्र-मजहब की राजनीति करने के साथ चुनाव जीतने के लिए हर तरह के छल-छद्म भी डंके की चोट पर किए हैं। विडंबना यह है कि बिना किसी रोक-टोक ऐसा काम करने वाले राजनीतिक दल मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने का आधार यह बता रहे हैं कि उन पर कुछ लांछन लगे हैं।

response@jagran.com

अन्न के साथ अनशन का फैशन

हास्य-व्यंग्य

क्या आप जानते हैं कि अनशन का पहला विवरण प्राचीन कथाओं में भी मिलता है? नहीं तो थोड़ा ज्ञान लीजिए और यह जान लीजिए कि महर्षि दधीचि ने जनहित में ही अन्न जल कौन कहे, श्वास लेना भी छोड़ दिया था। कुछ ऐसा ही कालांतर में अंग्रेजी शासन के दौरान भी हुआ जब कई लोगों ने जेल में ही अनशन करके प्राण त्याग दिए, परंतु इतिहास में उनका नाम खोजे से भी नहीं मिलता और आज हर दूसरी-तीसरी खबर अनशन की होती है। तमाम बंदे और बंदियां बिना अनशन फनशन किए लाभ के पदों पर स्थापित होते हुए मूर्तिमान हुए जा रहे हैं। इससे यह ज्ञान मिलता है कि अनशन करके प्राणों का उत्सर्ग करने वाले तो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं, लेकिन बिना अनशन किए या अनशन का क्रेडिट लेने वाले परम पद को प्राप्त करते हैं। आजकल कई तरह के अनशन प्रचलन में हैं। आमरण अनशन, क्रमिक अनशन, प्रतीकात्मक अनशन, सांकेतिक अनशन, क्षणिक और अति क्षणिक अनशन। पहले अनशन करने के कुछ ही स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, परंतु आजकल परंपरागत अनशनकारियों के सामने नई चुनौती आ गई है। तमाम नए-नए अनशनकारी खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं जिनमें कई तो छोले भटूरे खाकर भी अनशन करते हैं। ऐसे लोग दावा करते हैं कि दरअसल छोले-भटूरे जैसी भारी चीज खाने के बाद पेट अनशन पर चला जाता है और अल्पज्ञानी लोग शरीर देखते हैं, पेट नहीं। जबकि वह यही कह रहा होता है, अब और राशन नहीं चाहिए।

अब माननीय लोग कभी-कभी ही अनशन करते हैं, लेकिन पूरा हल्ला मच जाता है। दूसरी ओर देश की लाखों जनता सालों से रोज ही अनशन करती चली आ रही है, पर उसे कोई नहीं पूछने वाला। छोले-भटूरे खाकर अनशन करने वालों ने जैसा अनशन किया वैसा हम-

शैलेश त्रिपाठी

अनशन का क्रेज जैसे परवान चढ़ रहा है उसे देखते हुए सरकार को इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए

आप आए दिन करते हैं, लेकिन अज्ञानी होने के कारण कभी किसी से कहते नहीं कि हम आज दस से दो बजे या फिर सवा पांच से पौने सात बजे तक अनशन पर हैं। चूंकि कहते नहीं इसलिए न फोटो छपती है और न खबर। वैसे तो अनशन के लिए कोई आधिकारिक नियमावली अभी तक नहीं बनी है, लेकिन फिर भी कुछ सलाह मान ली जाए तो वह अनशनकारी के लिए खासी उपयोगी हो सकती है। अनशन की शुरुआत करने जा रहे बंदे को सबसे पहले अपनी सेहत के बारे में आश्वस्त हो लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अनशन के शुरुआती घंटों के दौरान ही चारों खाने चित होकर उपहास का पात्र होना पड़े या फिर सचमुच दो-चार दिन का उपवास करना पड़े। इसके अलावा अनशन करने के पहले ही कह देना चाहिए कि हमारा अनशन अन्न के साथ होगा। जब लोग सवाल करें तो कहिए कि अरे, अन्न नहीं भाई, अन्य।

अनशन करने वाले वैसा कुछ न करें जैसा रक्तदान शिविर में रक्तदान करने पर अड़े एक नेता ने किया। पहले तो लोगों ने उन्हें बहुत समझाया पर जब वह न माने तो आयोजकों ने उनको भी लिटा दिया, पर आधा बोतल खून देते ही वह बेहोश हो गए और होश तब आया जब खून की दो बोतल चढ़ाई गईं। वहीं से बेचारे का नेतागीरी का करियर खत्म हो गया। अब वह लोगों को रक्तदान महादान का ज्ञान देते हैं। घाघ बंदे कभी आमरण अनशन के चक्कर में नहीं पड़ते। हमेशा क्रमिक या सांकेतिक अथवा क्षणिक या अति क्षणिक टाइप अनशन ही करते हैं। कुछ तो पांच-पांच या दस-दस मिनट के स्लॉट में अनशन करते हैं, बिल्कुल टी-20 क्रिकेट की तर्ज पर। फिर आजकल तो तमाम इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां भी आ गई हैं जो डिजाइनर अनशन मैनेज करवाती हैं। वे सुसज्जित मंच पर झमाझम संगीत और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के बीच बेहद रंगारंग टाइप अनशन कराती हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर वे महिला/पुरुष समर्थक नारेबाज, पत्थरबाज बंदे भी मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों के घाघ बंदे अनशन शुरू करने के पहले अपने कुर्ते पैजामे की जेबों में ढेर सारे छोटे-छोटे पत्थर भी छिपा कर रख लेते हैं ताकि पता चल सके कि अनशन के दौरान कितना वजन कम हुआ? बाद में पत्थर फेंक देने के बाद वजन लेने पर वजन में काफी अंतर दिखता है और इससे शासन-प्रशासन पर भारी दबाव बनता है। अगर यह नहीं भी होता तो खबर में कुछ वजन आता है। कभी-कभार अनशन स्थल पर आधी रात को पुलिस धावा भी बोलती है और तबियत से तुड़ाई भी करती है सो सतर्क टाइप के अनशनकारी उस स्थिति से निपटने के लिए वेश बदलने का भी पूरा इंतजाम रखते हैं या अनशन ऐसी जगह करते हैं जहां कम से कम एक पतली गली हो।

अनशन का क्रेज जिस तरह परवान चढ़ रहा है उसे देखते हुए सरकार को इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। एक सुझाव अनशनकारियों के लिए भी है कि अनशन के ठीक पहले कुछ खाना हो तो रेस्टोरेंट में खाने से बचना चाहिए। रेस्टोरेंट में खाना नितांत आवश्यक ही हो जाए तो चेहरे पर नकाब बांधकर खाना चाहिए, वरना दबा के खाते हुए फोटो खिंच सकती है और अगर ऐसी फोटो खिंची तो वह वायरल ही होगी।

response@jagran.com

ऊर्जा

समय-प्रबंधन

सफलता प्राप्त करने लिए कर्म के साथ ही समय-प्रबंधन बेहद जरूरी है। उचित समय पर किया गया कर्म हमेशा फलदायी होता है। जो व्यक्ति तय समय पर अपना काम नहीं करते, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है, जबकि यह बिल्कुल सच नहीं है। हम सभी के पास एक समान समय होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं और असफल लोग ज्यादातर समय अपने दुखों और परेशानियों का ही रोना रोते रहते हैं।

सफल वही लोग होते हैं, जो लक्ष्य तय करने और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। ऐसे लोगों को यह मालूम होता है कि उन्हें किस और कितने समय में अपने कार्यों को पूरा करना है। हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग असफल होते ही नहीं हैं, लेकिन वे अपनी असफलता से भी बहुत कुछ सीखते हैं और निरंतर कोशिश करते रहते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब हजारों प्रयोग करने के बाद भी सफल नहीं हुए, तो उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि अब क्या करोगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक कोशिश और करूंगा।

समय-प्रबंधन का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान गलतियां नहीं करेगा। इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक बात है, लेकिन कभी कोई गलती हो जाने के बाद हमें तुरंत उसमें सुधार करना चाहिए। हमें अपने सभी कार्यों को मन लगाकर और सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। मनुष्य को एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक साथ कई काम करने से कभी-कभी कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है। इसके विपरीत जब हम एक मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है और हम कम समय में सार्थक कार्य करते हैं। इसी तरह हमें जो काम सरल लगता है, उसे पहले करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी हम अपना काफी समय बचा सकते हैं। इसी के साथ हमें नहीं कहना भी आना चाहिए। समय-प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। जो व्यक्ति काम के दौरान आलस्य करता है, उसकी बनाई योजना धरी की धरी रह जाती है।

शंभूनाथ पांडेय

तथ्य-कथ्य | यात्री कारों की बिक्री

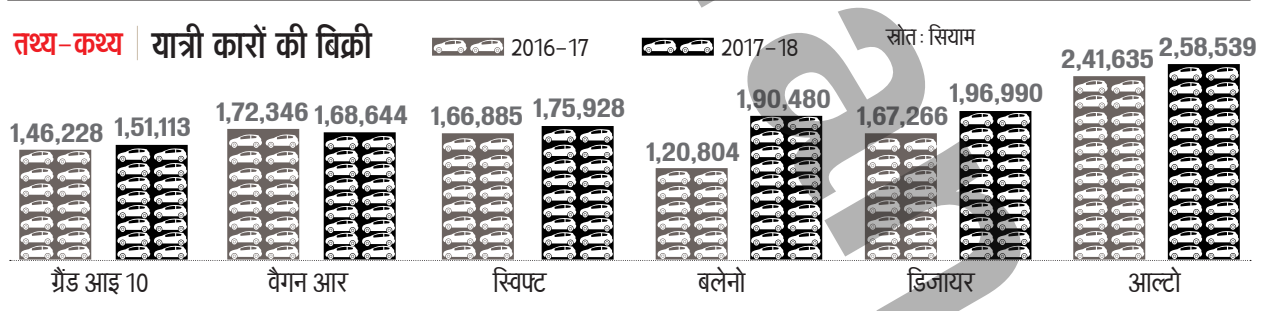

चर्चा में साहब का बदलाव

डार्विन थ्योरी को गलत बताने का बयान हो, या फिर न्यूटन के गति के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करने का मामला हो, अक्सर किसी न किसी विवाद से खुद को घिरा रखने वाले शिक्षा महकमे वाले साहब का बदला स्वभाव इन दिनों चर्चा है। अब तो वह ऐसे किसी विवादास्पद सवाल से खुद को अलग ही रखते है। ज्यादा कुरेदने पर हाथ जोड़कर नमस्ते बोलकर आगे बढ़ जाते है। साहब के स्वभाव में अचानक आए इस बदलाव से महकमे के अधिकारी भी हैरत में हैं। हालांकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने यह बदलाव खुद से किया है, या फिर किसी की सलाह पर वह ऐसा कर रहे है। वैसे तो उन्हें लेकर बढ़े विवादों के बाद महकमे के बड़े साहब ने ही उन्हें ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी थी। हो सकता है कि उन्हें देर से ही सही, पर बड़े साहब की बात समझ में आ गई हो और उन्होंने ऐसे विवादों से पल्ला झाड़ लिया हो। फिलहाल जो भी हो, पर अब साहब नियंत्रित होकर और सधी हुई बातें ही कर रहे है।

महामहिम का मंथन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजधानी में देशभर के राज्यपालों की तीन दिवसीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 3 जून से होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति और सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हो सकते हैं। खबरों की माने तो हाल में कुछ राजभवनों में हुए घटनाक्रमों को लेकर राष्ट्रपति खिन्न हैं। खास तौर पर जनता से जुड़े मामलो में राज्यपालों का रुख उनकी चिंता का विषय है। बीते दिनों जिस तरह तमिलनाडु में हुआ और राष्ट्रपति सचिवालय को सूचित किए बिना प्रेस वार्ता की गई, पता चला है उस पर कोविंद ने नाराजगी जाहिर की है। चूंकि राष्ट्रपति कोविंद सार्वजनिक जीवन में सुचिता के पक्षधर हैं और स्वयं इसका पालन करते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी बैठक में वह राज्यपालों के साथ इस मसले को उठा सकते हैं।

राजरंग

जोशीला जनसंपर्क

यूं तो रेलवे में जनसंपर्क और प्रचार का तंत्र काफी बड़ा और व्यापक है। पीआइबी के अलावा रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रियों के निजी स्टाफ से जुड़े अधिकारी भी रेलवे की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में जुटे रहते हैं। इसके बावजूद रेल मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए रेल भवन में कुछ ऐसे तेजतर्रार अधिकारी लाए गए हैं जिनकी कार्यशैली परंपरागत तंत्र से अलग है। इससे पहले नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के समय में इस तरह के प्रयोग किए गए थे और रेलवे के कार्यकारी निदेशक स्तर के अधिकारियों को जनसंपर्क व प्रचार के कार्य में लगाया गया था। इसका लाभ भी हुआ था। माना जाता है कि ये नए उत्साही अफसर चुनावी वर्ष में जनता के बीच रेलवे की सकारात्मक छवि पेश करने में मददगार साबित होंगे। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि वे कितने सफल होंगे।

कैश की चिंता

सरकारी बाबूओं को काम न करना पड़े इसके लिए उनके पास हजार बहाने होते हैं। वे किसी न किसी बहाने कुर्सी से उठकर घूमने निकल जाते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण पिछले हफ्ते देखने को मिला। जैसे ही मीडिया में कैश की किल्लत की खबरें आईं, नार्थ ब्लॉक में बैठने वाले कई बाबू वहां एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। यह बात अलग है कि जिस समय वित्त मंत्रालय में ये बाबू एटीएम में लाइन लगाकर खड़े थे, उसी समय मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग लोगों को कैश जमा करके न रखने की नसीहत दे रहे थे। बहरहाल उनकी इस सलाह पर आम लोग भले ही अमल करें, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर इसका कोई असर फिलहाल पड़ते नहीं दिख रहा। लोग अक्सर कहते हैं कि सुधार की शुरुआत पहले घर से ही करनी चाहिए, लेकिन यहां वही लगा कि अपनी मुहिम को पटरी से उतारने पर खुद घर वाले ही आमादा हैं।

ट्वीट-ट्वीट

पटना में यशवंत सिन्हा का भाषण सुनकर यही लगा कि वह संयुक्त विपक्ष के दूसरे जेपी बनना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी दल में कोई भी पद नहीं चाहते।

स्मिता प्रकाश@smitaprakash

बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मैं मौत की सजा देने का हिमायती हूं। ऐसे लोग किसी तरह की दया के पात्र नहीं और इस लिहाज से मैं केंद्र सरकार के अध्यादेश का स्वागत करता हूं। इसमें सख्त से सख्त सजा की दरकार है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह@capt_amarinder

क्या इस अध्यादेश में छोटे लड़कों का यौन शोषण करने वालों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान है। दुष्कर्म तो दुष्कर्म है। इंसाफ का यही तकाजा है कि हम किसी मुद्दे को लेकर लैंगिक भेदभाव न करें।

स्मिता बरूआ@smitabarooah

महाभियोग मामले के संभावित परिणाम। एक तो राज्यसभा के चेयरमैन इसे खारिज कर देंगे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मुख्य न्यायाधीश इसे सभी न्यायाधीशों के समक्ष रखेंगे। फिर अदालत कहेगी कि राज्यसभा को इस मामले में निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहां तक कि वे चार न्यायाधीश भी इससे असहमत नहीं हो सकते।

एस गुरुमूर्ति@sgurumurthy

जनपथ

टंटा महाभियोग का करने निकले लोग,
छवि धूमिल हो देश की ये ऐसा उद्योग।
ये ऐसा उद्योग करें वे लोग सियासी,
जिनकी गंदी सोच रही है सत्यानाशी।
करके घृणित प्रयास बजाएंगे ये घंटा,
क्योंकी होगा फेल मंदबुद्धी का टंटा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 277